

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(28)राज/वाद/19 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 14/11/19

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 30 (सी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री महेन्द्र सिंह निर्भय, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/2485/08) को विशिष्ट न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एक्ट मामलात), कोटा में राज्य पक्ष की ओर से आपराधिक प्रकरणों की पैरवी व अभियोजन पक्ष का संचालन करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट मामलात), कोटा के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

ह०

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा।
- 9 विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट मामलात), कोटा।
- 10 जिला कलक्टर, कोटा।
- 11 कोषाधिकारी, कोटा।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।



(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण